सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी–केशव कुमार मीनाआर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024 / 53 दर्ज तिथिः–13.03.2024

1. ओमप्रकाश उर्फ ओमाराम पुत्र हेमाराम
2. डामराराम पुत्र हेमाराम
3. डालूराम पुत्र हेमाराम
4. पुखराज पुत्र हेमाराम
5. वगतु पत्नीहेमाराम
6. सदराम पुत्र हेमाराम

जाति मेघवाल निवासी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर

.................वादी

बनाम

1. खेमाराम पुत्र किशनाराम
2. चुकीदेवी पत्नी सुखराम
3. जीयोंदेवी पत्नी मांगाराम
4. पूनम पत्नी मांगाराम
5. बबरीदेवी पत्नी खेमाराम
6. ओमप्रकाश पुत्र गोमाराम
7. नेमीदेवी पत्नी गोगाराम
8. गणेशाराम पुत्र हीराराम
9. फगलूरामपुत्र हीराराम
10. बबूराम पुत्र हीराराम
11. रमेश पुत्र हीराराम
12. इन्द्राराम पुत्र नानजीराम
13. इमिया पुत्र सुजाराम
14. उतमा पुत्र कोजाराम
15. केसरसिंह पुत्र सुजाराम
16. खेमाराम पुत्र किशनाराम
17. गेनाराम पुत्र पुनमाराम
18. गोकलाराम पुत्र अचलाराम
19. चिमाराम पुत्र जगराम
20. जमना पत्नी देदाराम
21. जेसाराम पुत्र लूणाराम
22. जीवा पत्नी लाखाराम
23. पपुराम पुत्र बालूराम
24. पेमाराम पुत्र सुरताराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:53:02 IST
Reason: SelfAttested

25. प्रतापाराम पुत्र लालाराम
26. प्रेमसिंह पुत्र सुजाराम
27. बाबुलाल पुत्र जोधाराम
28. भोमाराम पुत्र लुणाराम
29. रमेश पुत्र किशनाराम
30. लाधुराम पुत्र भींयाराम
31. शंकराराम पुत्र सुजाराम
32. सकु पत्नी लुणाराम
33. सवाई पुत्र देदाराम
34. हिमताराम पुत्र चुतराराम
    जाति मेघवाल निवासी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर

..............असल प्रतिवादीगण

35. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना

.............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थितअधिवक्ता
वादीः—श्रीदेवाराम
प्रतिवादीगणः— एक तरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—17.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 485/1/2.0153 है0 वाके ग्राम धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार धोरीमन्ना के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना के आदेशांक 306 दिनांक 25.01.2024 की पालना में दिनांक 15.02.2024 को पटवारी हल्का धोरीमन्ना द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 485/1/2.0153 है0 वाके ग्राम धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना की पत्थरगढ़ी दिनांक 15.02.2024 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:53:02 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगणका प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामील अप्रार्थीगण के अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।
3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीकी बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक दिनांक 15.02.2024के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।
4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries****.—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:53:02 IST
Reason: SelfAttested

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072–2075 ग्राम धोरीमन्ना में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाकेग्राम धोरीमन्ना के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 15.02.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार धोरीमन्ना के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर सीमाज्ञान किया। परंतु पड़ौसी खातेदारों द्वारा सीमाज्ञान पर असहमति जाहिर की। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 485/1/2.0153 है0 वाके ग्राम धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्व सूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रतिपालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 17.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीनाआर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:53:02 IST
Reason: SelfAttested